दूरभाष : 0131–2436493
Email : romuzaffarnagar@uppcb.in
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 1351/OA-249/Daljeet Singh/MZN/2023 दिनांक / Dated 11-01-2023

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.- **Compliance regarding O.A. No. 249/2021 (I.A. No. 187/2021) with Caveat Application No. 12/2021, 13/2021 and 14/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others with Original Application No. 251/2021 (I.A. No. 189/2021 and I.A. No. 214/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others**

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the report in compliance of the order issued on 11.05.2022 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 249/2021 (I.A. No. 187/2021) with Caveat Application No. 12/2021, 13/2021 and 14/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others with Original Application No. 251/2021 (I.A. No. 189/2021 and I.A. No. 214/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Ankit Singh)
Regional Officer

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

D/Neeraj Mittal/Letter 2023

Compliance regarding O.A. No. 249/2021 (I.A. No. 187/2021) with Caveat Application No. 12/2021, 13/2021 and 14/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others with Original Application No. 251/2021 (I.A. No. 189/2021 and I.A. No. 214/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others

By above mentioned O.A. No. 249/2021 (I.A. No. 187/2021) with Caveat Application No. 12/2021, 13/2021 and 14/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others with Original Application No. 251/2021 (I.A. No. 189/2021 and I.A. No. 214/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others, petitioner filed an application under section 14 and 18 of National Green Tribunal Act 2010 raising grievance that respondents are carrying on with the mining activities in river bed of Yamuna in District Shamli violating the conditions of E.C. stating that no mining operation shall be carried out without obtaining requisite statutory consent/permission/NOC. Hence, entire activity is illegal and causing pollution to the environment and liable to cancellation of E.C. granted besides environmental compensation etc.

As per the Hon'ble N.G.T. order dated 11.05.2022 Para No. 8 as follows :

"8. In view of above, the State PCB and the District Magistrate may take further action of not permitting mining without requisite Consents and assessing and recovering compensation as per law. It is made clear

that compensation for illegal mining has to be equal to the value of mined material in view of Section 21(5) of the MMDR Act, 1957 and orders of the Hon'ble Supreme Court in *Common Cause vs Union of India & Ors., (2017) 9 SCC 499.* Apart from recovering value of the mined material as 1981, compensation has to be in addition having regard to the cost of restoration of damage and the paying capacity of the project proponent (PP). Compensation to be also to be assessed for illegal extraction of ground water. This exercise may be completed by the State PCB within three months. Recovered compensation be utilised for restoration of environment by preparing an action plan to be approved by CPCB.

The Applications are disposed of accordingly."

In compliance to the above order, following actions against the 02 violators have been taken by UPPCB :

1. As per the official record, only 02 units found not having valid consent to operate for sand mining namely M/s Shakumbri Mines Gata No. 228, Vill. Bidoli, District Shamli and M/s Anushka Enterprises, Vill. Issopur Khurgan, Shamli.
2. Regarding the compliance of the directions issued by N.G.T. order dated 11.05.2022, for calculation of Environmental Compensation (as per the calculations derived by CPCB for illegal mining) letters were issued to Mining department, Shamli to provide the information regarding quantity of mining, days of sand mining and rate of mining per cum for M/s Shakumbri Mines Gata No. 228, Vill. Bidoli,

District Shamli and M/s Anushka Enterprises, Vill. Issopur Khurgan, Shamli vide this office letter no. 200/C/S-249/Shamli/2022 dated 24.05.2022, 213/C/S-249/Shamli /2022 dated 26.05.2022 and 243/C/A-138/Shamli/2022 dated 31.05.2022 **(Annexure-1)**. In continuation, mining officer sent the requisite details vide their letter no. 5099/kha.vi-2021-22 dated 26.05.2022, 5118/kha.vi-2022 dated 01.06.2022 and 5132/kha.vi-2021-2022 dated 06.06.2022 **(Annexure-2)**.

3. As per the information provided by Mining department and as per records of UPPCB, recommendation for imposition of Environmental Compensation of Rs. 2,35,63,976/- against M/s Shakumbri Mines Gata No. 228, Vill. Bidoli, District Shamli and Rs. 1,80,52,969/- against M/s Anushka Enterprises, Vill. Issopur Khurgan, Shamli was sent to HO UPPCB vide office letter no. 510/C/S-249/Shamli/2022 dated 22.07.2022 and 509/C/A-138/Shamli/2022 dated 22.07.2022 respectively **(Annexure-3)**.

4. In continuation HO UPPCB vide their letter dated H85294/C-3/Jal-434/M.Nagar/2022 dated 07.12.2022 and H85295/C-3/Jal-452/M.Nagar/2022 dated 07.12.2022 **(Annexure-4)** imposed Environmental Compensation against the above mining units.

5. As per the official record, units have not submitted the Environmental Compensation yet. Further, if units do not pay E.C., recommendation against the units for recovery of E.C. as per land revenue will be sent

to Head Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow and District Magistrate Shamli.

Action taken report in compliance of Hon'ble NGT order dated 11.05.2022 is forwarded for your kind perusal.

(Vipul Kumar) A.E.E.

(Imraan Ali) A.E.E.

Regional Officer

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

UPPCB

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 200/C/S-249/Shamli/2022

दिनांक Dated 24-05-2022

सेवा में,

जिला खान अधिकारी
शामली।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 (आई.ए. नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 (आई.ए. नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.05.2022 में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

8. In view of above, the State PCB and the District Magistrate may take further action of not permitting mining without requisite Consents and assessing and recovering compensation as per law. It is made clear that compensation for illegal mining has to be equal to the value of mined material in view of Section 21 (5) of the MMDR Act, 1957 and orders of the Hon'ble Supreme Court in *Common Cause vs. Union of India & Ors., (2017) 9 SCC 499.* Apart from recovering value fo the mined material as compensation, for violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Contro of Pollution) Act, 1981, compensation has to be in addition having regard to the cost of restoration of damage and the paying capacity of the project proponent (PP). Compensation be also to be assessed for illegal extraction of ground water. This exercise may be completed by the State PCB within three months. Recovered compensation be utilised for restoration of environment by preparing an action plan to be approved by CPCB.

उपरोक्त के सम्बन्ध में इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति Section 21 (5) of the MMDR Act, 1957 and orders of the Hon'ble Supreme Court in *Common Cause vs. Union of India & Ors., (2017) 9 SCC 499* के अनुसार आंकलित की जानी है।

उक्त आंकलन हेतु इकाई द्वारा प्रारम्भ से किये गये खनन दिवसों की संख्या (दिनांक सहित), खनन की मात्रा (घन मीटर में) एवं प्रति घन मीटर की तत्समय मार्केट वैल्यू की सूचना की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सूचनायें शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे समयान्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन कर इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही समयान्तर्गत की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

<u>प्रतिलिपि</u>–

1– जिलाधिकारी महोदया, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
3– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4– विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

(A.E.E.)

ail : romuzaffarnagar@uppcb.in
दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 213/CK-249/Shamli/2022
दिनांक / Dated 26.5.2022

सेवा में,
जिला खान अधिकारी
शामली।

द्वारा : ई–मेल

विषयः–मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० 249/2021 (आई.ए. नं० 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयंक अपने पत्रांक 5099/ख०वि०–2021–22 दिनांक 26.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा इकाई मै० शाकुम्बरी माइन्स, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा प्रारम्भ से किये गये खनन दिवसों की संख्याएवं खनन की मात्रा की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति Section 21 (5) of the MMDR Act, 1957 and orders of the Hon'ble Supreme Court in *Common Cause vs. Union of India & Ors., (2017) 9 SCC 499* के अनुसार आंकलित की जानी है, जिस हेतु खनन की मात्रा का प्रति घन मीटर दर की आवश्यकता है।

अतः कृपया खनन की प्रति घन मीटर की दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा अनुपालन आख्या मा० एन०जी०टी० के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही समयान्तर्गत की जा सके।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–
1– जिलाधिकारी महोदया, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
3– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4– विधि अधिकारी–प्रथम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 243C/A-138/Shamli/2022

दिनांक / Dated 31-5-2022

सेवा में,

खान निरीक्षक

शामली।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 व 251/2021 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 एवं 251/2021 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में इकाई मै0 अनुष्का इंटरप्राइजेज, प्रो0 श्रीमती मंजू सिंह पत्नि श्री जय कुमार सिंह, निवासी 502, एम.आई. जी. आवास विकास फतेहपुर, तहसील व जिला फतेहपुर (पट्टाधारक खनन क्षेत्र ग्राम इस्सोपुर खुरगान) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जानी है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु इकाई द्वारा प्रारम्भ से किये गये खनन दिवसों की संख्या (दिनांक सहित), खनन की मात्रा (घन मीटर में) एवं प्रति घन मीटर दर (रूपये में) की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सूचनायें शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे समयान्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन कर इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही समयान्तर्गत की जा सके।

~~संलग्नक- उपरोक्तानुसार।~~

भवदीय,

(अंकित सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदया, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), शामली को सूचनार्थ प्रेषित।

3– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

4– विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली।

संख्याः– 5099 /ख0वि0–2021–22, दिनांक 26–05–2022

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 (आई.ए.नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11–05–2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर/शामली।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्याः 200/सी/S–249/शामली/2022 दिनांक 24–05–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 (आई.ए.नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11–05–2022 के क्रम में इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति Section 21(5) of the MMDR Act, 1957 and orders of the Hon'ble Supreme Court in Common cause vs. Union of the india & Ors. (2017) 9 SCC 499 के अनुसार आंकलित हेतु इकाई द्वारा प्रारम्भ से किये गये खनन दिवसों की संख्या (दिनांक सहित) खनन की मात्रा (घन मीटर में) एवं प्रति घन मीटर की तत्समय मार्केट वैल्यू की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद की तहसील ऊन के ग्राम बिडौली के गाटा सं0 228 क्षे0 20.460 हे0 में ई–नीलामी के माध्यम से मैसर्स शाकुम्बरी माइन्स, के नाम दिनांक 02–03–2021 से 01–03–2026 तक की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत है। विभागीय वेबसाइड के अवलोकन से विदित है कि मैसर्स शाकुम्बरी माइन्स द्वारा खनन क्षेत्र ग्राम बिडौली में खनन कार्य दिनांक 06–03–2021 से 31–03–2021 तक 26 दिन, दिनांक 06–04–2021 से 30–04–2021 तक 25 दिन, दिनांक 01–05–2021 से 31–05–2021 तक 31 दिन एवं दिनांक 01–06–2021 से 30–06–2021 तक 30 दिन अर्थात कुल 112 दिनों में 1,17,561 घनमीटर बालू का खनन किया गया है।

साथ ही अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन क्षेत्र में मानसून सत्र से (दिनांक 01–07–2021 से 30–09–2021) आज दिनांक तक खनन कार्य पूर्णतः बन्द है।

कृपया तद्रूप अवगत होना चाहे।

(बशिष्ठ यादव)
खान अधिकारी,
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदया, शामली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी,
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली।

संख्याः– 5118/ख0वि0–2022, दिनांक 01–06–2022

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 (आई.ए.नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11–05–2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर/शामली।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्याः 213/सी/S–249/शामली/2022 दिनांक 26–05–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 (आई.ए.नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11–05–2022 के क्रम में इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति Section 21(5) of the MMDR Act, 1957 and orders of the Hon'ble Supreme Court in Common cause vs. Union of the india & Ors. (2017) 9 SCC 499 के अनुसार खनन की प्रति घनमीटर की दर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम–21) के अनुसार साधारण बालू की दर रू0 65/– प्रति घनमीटर निर्धारित है। जनपद की तहसील ऊन के ग्राम बिडौली के गाटा सं0 228 क्षे0 20.469 हे0 में ई–नीलामी के माध्यम से सर्वोच्च बोली रू0 190/– प्रति घनमीटर की दर से मैसर्स शाकुम्बरी माइन्स, के नाम दिनांक 02–03–2021 से 01–03–2026 तक की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत है।

कृपया तद्रूप अवगत होना चाहे।

(हस्ताक्षर)
(बशिष्ठ यादव)
खान अधिकारी,
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदया, शामली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी,
शामली।

V. Imp (NGT matter)
AEE (Imran)
Prepare report as per the above info and put up
(signature)

09-6-22

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली।

संख्याः– 5132 / ख0वि0–2021–22, दिनांक 06–06–2022

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 व 251/2021 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11--05–2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर/शामली।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्याः 243/सी/A–138/शामली/2022 दिनांक 31–05–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 249/2021 व 251/2021 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11–-05–2022 के क्रम में इकाई मै0 अनुष्का इंटरप्राइजेज, प्रो0 श्रीमती मंजू सिंह पत्नि श्री जयकुमार सिंह, निवासी 502, एम.आई.जी. आवास विकास फतेहपुर, तहसील व जिला फतेहपुर (पट्टाधारक खनन क्षेत्र ग्राम इस्सोपुर खुरगान) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जानी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु इकाई द्वारा प्रारम्भ से किये गये खनन दिवसों की संख्या (दिनांक सहित), खनन की मात्रा (घनमीटर में) एवं प्रति घनमीटर दर (रूपये में) की सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद शामली की तहसील कैराना के ग्राम इस्सोपुर खुरगान के गाटा सं0 671, 674 क्षे0 4.213 हे0 में ई–नीलामी के माध्यम से मै0 अनुष्का इंटरप्राइजेज, प्रो0 श्रीमती मंजू सिंह पत्नि श्री जयकुमार सिंह, निवासी 502, एम.आई.जी. आवास विकास फतेहपुर, तहसील व जिला फतेहपुर के नाम दिनांक 01–01–2021 से 31–12–2026 तक की अवधि के लिए रू0 191/–प्रति घनमीटर की दर से (अनुवर्ती वर्षो में गत वर्ष की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके देय होगा) खनन पट्टा स्वीकृत है। विभागीय वेबसाइड के अवलोकन से विदित है कि मै0 अनुष्का इंटरप्राइजेज, द्वारा खनन क्षेत्र ग्राम इस्सोपुर खुरगान में निम्न विवरणानुसार साधारण बालू का खनन कार्य किया गया है :–

क्र0सं0	खनन कार्य किस दिनांक से किस दिनांक तक	कुल कार्य दिवस (खनन कार्य)	घनमीटर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	04–01–2021 से 31–01–2021 तक	28	8578	
2	03–02–2021 से 28–02–2021 तक	26	11526	
3	03–03–2021 से 31–03–2021 तक	29	13691	
4	माह अप्रैल, 2021 में बन्द	–	–	
5	माह मई, 2021 में बन्द	–	–	
6	11–06–2021 से 30–06–2021 तक	20	20913	
7	01 जुलाई, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक बन्द (मानसून सत्र)	–	–	
8	माह अक्टूबर, 2021 में बन्द	–	–	
9	17–11–2021 से 30–11–2021 तक	14	6699	
10	14–12–2021 से 31–11–2021 तक	18	9393	
11	01–01–2022	01	244	
12	24–02–2022 से 28–02–2022 तक	05	2139	
13	01–03–2022 से 31–03–2022 तक	31	6941	
14	01–04–2022 को	01	31	
15	19–05–2022 से 31–05–2022 तक	13	1620	
16	03–06–2022 से 06–06–2022 तक	04	1115	
	योग :–	**190**	**82890**	

AE E(V/I)

01.06.22

कृपया तद्रूप अवगत होना चाहे।

(बशिष्ठ यादव)
खान अधिकारी,
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदया, शामली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी,
शामली।

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 510/C/S-249/Shamli/2022

दिनांक Dated 22-7-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच76524/सी–3/एनजीटी–77/2022 दिनांक 02.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में योजित OA No. 249/2021 (I.A. No. 187/2021) with the Caveat Application No. 12/2021, Caveat Aplication No. 13/2021 and Caveat Application No. 14/2021 दलजीत सिंह व अन्य बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य with OA No. 251/2021 (I.A. No. 189/2021 & I.A. No. 214/2021) दलजीत सिंह व अन्य बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जानी है, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

कार्यालय की आख्या में दिये गये तथ्यों के आधार पर इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच69300/सी–3/जल–434/मु0नगर/2021 दिनांक 13.12.2021 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आदेश रू0 11,20,000/– को निरस्त करते हुए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में इकाई के विरूद्ध संशोधित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,35,63,976/– (रू0 दो करोड पैंतीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ छियत्तर मात्र) अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Ankit S
(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

D/Neeraj Mittal/Letter 2022 New

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 249/2021 (आई.ए. नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश 11.05.2022 के अनुपालन में मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 251/2021 (आई.ए. नं0 189/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश 01.11.2021 के अनुपालन में इकाई के बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच69300/सी–3/जल–434/मु0नगर/ 2021 दिनांक 13.12.2021 द्वारा रू0 11,20,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। उद्योग द्वारा समयान्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को राज्य बोर्ड के खाते में जमा न किये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच76914/सी–3/जल–434/मु0नगर/2021 दिनांक 09.06.2022 द्वारा जिलाधिकारी शामली को पत्र प्रेषित कर इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भांति वसूल कर राज्य बोर्ड के खाते मे जमा कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शामली के पत्रांक 5097/ख0वि0–2022 दिनांक 25.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 249/2021 (आई.ए. नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश 11.05.2022 के अनुपालन में बिना राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये गये खनन के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

> 8. In view of above, the State PCB and the District Magistrate may take further action of not permitting mining without requisite Consents and assessing and recovering compensation as per law. It is made clear that compensation for illegal mining has to be equal to the value of mined material in view of Section 21 (5) of the MMDR Act. 1957 and orders of the Hon'ble Supreme Court in *Common Cause vs. Union of India & Ors., (2017) 9 SCC 499.* Apart from recovering value of the mined material as compensation, for violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, compensation has to be in addition having regard to the cost of restoration of damage and the paying capacity of the project proponent (PP). Compensation be also to be assessed for illegal extraction of ground water. This exercise may be completed by the State PCB within three months. Recovered compensation be utilised for restoration of environment by preparing an action plan to be approved by CPCB.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 200/सी/एस–249/शामली/2022 दिनांक 24.05.2022 एवं 213/सी/एस–249/शामली/2022 दिनांक 26.05.2022 द्वारा खान निरीक्षक शामली को खनन दिवसों की संख्या, खनन की मात्रा आदि की सूचनायें प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। उक्त के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली के पत्र संख्या 5099/ख0वि0–2021–22 दिनांक 26.05.2022 एवं 5118/ख0वि0–2022 दिनांक 01.06.2022 के माध्यम से मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा

(A.E.E.)

क्रमशः ....2...

संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा दिनांक 06.03.2021 से 30.06.2021 तक कुल 112 दिवसों में 1,17,561 घन मी0 बालू खनन किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है।

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 की धारा 21(5) के अंश निम्नवत् हैं :–

(5) Whenever any person raises, without any lawful authority, any mineral from any land, the State Government may recover from such person the mineral so raised, or, where such mineral has already been disposed of, the price thereof, and may also recover from such person, rent, royalty or tax, as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority.

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Common Cause Vs. Union of India & Others में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

(8) Any mining activity carried on after 7th January, 1998 without an FC amounts to illegal or unlawful mining in terms of the provisions of Section 21(5) of MMDR Act attracting 100% recovery of the price of the extracted mineral that is disposed of.

(9) In the event of any overlap, that is, illegal or unlawful mining without an FC or without an EC or without both would attract only 100% compensation and not 200% compensation. In other words, only one set of compensation would be payable by the mining lease holder.

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में उद्योग मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के द्वारा किये गये अवैध खनन के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्नवत् आंकलित किया जाना उचित होगा :–

क्र.सं.	खनन कार्य (किस दिनांक से किस दिनांक तक)	कुल कार्य दिवस	खनन की मात्रा (घन मी0)	खनन की दर (रू0 में)	खनन की धनराशि
1.	06.03.2021 से 30.06.2021 तक	112	117561	190.00	22336590.00

उक्त गणनानुसार उद्योग मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा दिनांक 06.03.2021 से 30.06.2021 के मध्य कुल धनराशि रू0 2,23,36,590/– का खनन कार्य किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित MMDR Act 1957 की धारा 21(5) एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Common Cause Vs Union of India & Others में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के अनुसार उद्योग मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध अवैध खनन के सापेक्ष धनराशि रू0 2,23,36,590/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

अग्रेतर, इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना खनन कार्य किया गया है। अतः इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की गणना निम्नवत् है :–

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी–31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी–1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = PIxNxRxSxLF

(A.E.E.)

क्रमशः ....3...

PI = Pollution Index of Industrial Sector – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। सन्दर्भित उद्योग लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place – उक्त उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है तथा दिनांक 06.03.2021 से 30.06.2021 तक कुल 112 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। अतः इकाई के विरूद्ध कुल 112 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 112 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदानुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उद्योग लघु श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।

LF = Location factor = उद्योग से निकटतम शहरों की जनसंख्या 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।

उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :–

EC = PIxNxRxSxLF
= 80 x 112 x 250 x 0.5 x 1
= 11,20,000/-

अतः उद्योग मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के अनुरूप रूपये 11,20,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

अग्रेतर, इकाई द्वारा यू0पी0 ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेन्ट से बिना अनापत्ति प्राप्त किये 15.98 किली0/दिन (State Level Environment Impact Assessment Authority द्वारा निर्गत एन.ओ.सी. के अनुसार) भूगर्भ जल दोहन किया गया है। उक्त इकाई भूगर्भ जल दोहन की दृष्टि से Over Exploited Area के अन्तर्गत आच्छादित है, जिस हेतु Environmental Compensation rate for illegal extraction of Ground Water रू0 60/– प्रति घन मी0 है। इकाई द्वारा कुल 112 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। अतः इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन के अनुसार भूगर्भ जल दोहन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

EC = Water Consumption per day x No. of Days x Environmental Compensation rate for illegal extraction of Ground Water
= 15.98 x 112 x 60
= Rs. 1,07,385.60 Say = Rs. 1,07,386/-

(A.E.E.)

क्रमशः ...4...

अतः मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुसार उद्योग मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

अवैध खनन हेतु		Rs. 2,23,36,590.00
जल एवं वायु सहमति प्राप्त न किये जाने हेतु		Rs. 11,20,000.00
भूगर्भ जल दोहन हेतु		Rs. 1,07,386.00
	Total	**Rs. 2,35,63,976.00**

अतः उद्योग मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच69300/सी–3/जल–434/मु0नगर/2021 दिनांक 13.12.2021 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आदेश रू0 11,20,000/– को निरस्त करते हुए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में इकाई के विरूद्ध संशोधित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,35,63,976/– (रू0 दो करोड पैंतीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ छियत्तर मात्र) अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

22/07/22
(विपुल कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

22.07.2022
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

ail : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 509/C/A-138/Shamli/2022

दिनांक / Dated 22-7-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय– **मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में इकाई मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज, ग्राम इस्सोपुर खुरगान, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच76524/सी–3/एनजीटी–77/2022 दिनांक 02.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में योजित OA No. 249/2021 (I.A. No. 187/2021) with the Caveat Application No. 12/2021, Caveat Aplication No. 13/2021 and Caveat Application No. 14/2021 दलजीत सिंह व अन्य बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य with OA No. 251/2021 (I.A. No. 189/2021 & I.A. No. 214/2021) दलजीत सिंह व अन्य बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में इकाई मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज, ग्राम इस्सोपुर खुरगान, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जानी है, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

कार्यालय की आख्या में दिये गये तथ्यों के आधार पर इकाई मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज, ग्राम इस्सोपुर खुरगान, जिला शामली के विरूद्ध कुल रू0 1,80,52,969/– (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख बावन हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

D/Neeraj Mittal/Letter 2022 New

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 249/2021 (आई.ए. नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश 11.05.2022 के अनुपालन में मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज, ग्राम इस्सोपुर खुरगान, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शामली के पत्रांक 5097/ख0वि0–2022 दिनांक 25.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 249/2021 (आई.ए. नं0 187/2021) दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश 11.05.2022 के अनुपालन में बिना राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये गये खनन के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

8. In view of above, the State PCB and the District Magistrate may take further action of not permitting mining without requisite Consents and assessing and recovering compensation as per law. It is made clear that compensation for illegal mining has to be equal to the value of mined material in view of Section 21 (5) of the MMDR Act, 1957 and orders of the Hon'ble Supreme Court in *Common Cause vs. Union of India & Ors., (2017) 9 SCC 499.* Apart from recovering value of the mined material as compensation for violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, compensation has to be in addition having regard to the cost of restoration of damage and the paying capacity of the project proponent (PP). Compensation be also to be assessed for illegal extraction of ground water. This exercise may be completed by the State PCB within three months. Recovered compensation be utilised for restoration of environment by preparing an action plan to be approved by CPCB.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 243/सी/ए–138/शामली/2022 दिनांक 31.05.2022 द्वारा खान निरीक्षक शामली को खनन दिवसों की संख्या, खनन की मात्रा आदि की सूचनायें प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली के पत्र संख्या 5132/ख0वि0–2021–22 दिनांक 06.06.2022 के माध्यम से मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज द्वारा दिनांक 06.06.2022 तक कुल 190 दिवसों में 82890 घन मी0 बालू खनन किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है।

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 की धारा 21(5) के अंश निम्नवत् हैं :–

(5) Whenever any person raises, without any lawful authority, any mineral from any land, the State Government may recover from such person the mineral so raised, or, where such mineral has already been disposed of, the price thereof, and may also recover from such person, rent, royalty or tax, as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority.

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Common Cause Vs. Union of India & Others में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

(A.E.E)

क्रमशः ....2...

(8) Any mining activity carried on after 7 th January, 1998 without an FC amounts to illegal or unlawful mining in terms of the provisions of Section 21(5) of MMDR Act attracting 100% recovery of the price of the extracted mineral that is disposed of.

(9) In the event of any overlap, that is, illegal or unlawful mining without an FC or without an EC or without both would attract only 100% compensation and not 200% compensation. In other words, only one set of compensation would be payable by the mining lease holder.

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में उद्योग मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज के द्वारा किये गये अवैध खनन के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्नवत् आंकलित किया जाना उचित होगा :–

क्र.सं.	खनन कार्य (किस दिनांक से किस दिनांक तक)	कुल कार्य दिवस	खनन की मात्रा (घन मी0)	खनन की दर (रू0 में)	खनन की धनराशि
1.	04.01.2021 से 31.01.2021 तक	28	8578	191.00	1638398.00
2.	03.02.2021 से 28.02.2021 तक	26	11526	191.00	2201466.00
3.	03.03.2021 से 31.03.2021 तक	29	13691	191.00	2614981.00
4.	11.06.2021 से 30.06.2021 तक	20	20913	191.00	3994383.00
5.	17.11.2021 से 30.11.2021 तक	14	6699	191.00	1279509.00
6.	14.12.2021 से 31.12.2021 तक	18	9393	191.00	1794063.00
7.	01.01.2022	01	244	210.10	51264.40
8.	24.02.2022 से 28.02.2022 तक	05	2139	210.10	449403.90
9.	01.03.2022 से 31.03.2022 तक	31	6941	210.10	1458304.10
10.	01.04.2022	01	31	210.10	6513.10
11.	19.05.2022 से 31.05.2022 तक	13	1620	210.10	340362.00
12.	03.06.2022 से 06.06.2022 तक	04	1115	210.10	234261.50
	योग –	**190**	**82890**		**1,60,62,909.00**

उक्त गणनानुसार उद्योग मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज द्वारा दिनांक 04.01.2021 से 06.06.2022 तक कुल धनराशि रू0 1,60,62,909/– का खनन कार्य किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित MMDR Act 1957 की धारा 21(5) एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Common Cause Vs Union of India & Others में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के अनुसार उद्योग मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज के विरूद्ध अवैध खनन के सापेक्ष धनराशि रू0 1,60,62,909/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

अग्रेतर, इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना खनन कार्य किया गया है। अतः इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की गणना निम्नवत् है :–

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी–31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी–1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = PIxNxRxSxLF

PI = Pollution Index of Industrial Sector – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के

क्रमशः ...3...

उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। सन्दर्भित उद्योग लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place – उक्त उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है तथा दिनांक 04.01.2021 से 06.06.2022 के मध्य कुल 190 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। अतः इकाई के विरूद्ध कुल 190 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 190 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदानुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उद्योग लघु श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।

LF = Location factor = उद्योग से निकटतम शहर, कैराना की जनसंख्या 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिंया जाना उचित है।

उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :–

EC = PIxNxRxSxLF
= 80 x 190 x 250 x 0.5 x 1
= 19,00,000/-

अतः उद्योग मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के अनुरूप रूपये 19,00,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

अग्रेतर, इकाई द्वारा यू0पी0 ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेन्ट से बिना अनापत्ति प्राप्त किये 7.90 किली0/दिन (State Level Environment Impact Assessment Authority द्वारा निर्गत एन.ओ.सी. के अनुसार) भूगर्भ जल दोहन किया गया है। उक्त इकाई भूगर्भ जल दोहन की दृष्टि से Over Exploited Area के अन्तर्गत आच्छादित है, जिस हेतु Environmental Compensation rate for illegal extraction of Ground Water रू0 60/– प्रति घन मी0 है। इकाई द्वारा कुल 190 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। अतः इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन के अनुसार भूगर्भ जल दोहन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

EC = Water Consumption per day x No. of Days x Environmental Compensation rate for illegal extraction of Ground Water
= 7.90 x 190 x 60
= Rs. 90,060/-

(A.E.E.)

क्रमशः .....4...

अतः मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुसार उद्योग मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज, ग्राम इस्सोपुर खुरगान, जिला शामली के विरूद्ध कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :—

अवैध खनन हेतु	Rs. 1,60,62,909.00
जल एवं वायु सहमति प्राप्त न किये जाने हेतु	Rs. 19,00,000.00
भूगर्भ जल दोहन हेतु	Rs. 90,060.00
Total	**Rs. 1,80,52,969.00**

अतः उपरोक्त गणनानुसार उद्योग मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज, ग्राम इस्सोपुर खुरगान, जिला शामली के विरूद्ध कुल रू0 1,80,52,969/— (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख बावन हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

22/07/22
(विपुल कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

22.07.2022
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H-85294/सी–3/जल–434/मु0नगर/2022 दिनांक 07-12-22

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 शाकुम्बरी माईन्स,
गाटा संख्या–228, ग्राम बिडौली, तहसील–कैराना,
जिला शामली।

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पट्टाधारक मै0 शाकुम्बरी माईन्स, गाटा संख्या–228, ग्राम बिडौली, तहसील–कैराना, जिला शामली के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनॉक 22.07.2022 के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 249/2021 (I.A. No. 187/2021) with the caveat Application No. 12/2021, Caveat Application No. 13/2021 and Caveat Application No. 14/2021 दलजीत सिंह व अन्य बनाम् उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य with O.A. No. 251/2021 (I.A. No. 189/2021 & I.A. No. 214/2021) दलजीत सिंह व अन्य बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनॉक 11.05.2022 द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश आदेश दिनॉक 11.05.2022 के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), शामली के पत्र दिनॉक 26.05.2022 एवं दिनॉक 01.06.2022 के द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार इकाई द्वारा 06.03.2021 से दिनॉक 30.06.2021 तक कुल 112 दिवसों में 1,17,561 घन मीटर बालू खनन किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है तथा दिनॉक 06.03.2021 से दिनॉक 30.06.2021 तक कुल 112 दिवसों हेतु खनन कार्य किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार इकाई द्वारा यू0पी0 ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेंट से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये 15.98 कि0ली0/दिन (State Level Environment Impact Assessment Authority द्वारा निर्गत एन0ओ0सी0 के अनुसार) भूगर्भ जल दोहन किया गया है। उक्त इकाई भूजल जल दोहन की दृष्टि से Environmental Compensation rate for illegal extraction of Ground Water रु0–60/– प्रति घन मीटर है। इस प्रकार इकाई द्वारा कुल 112 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर की उक्त आख्या दिनॉक 22.07.2022 के अनुसार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनॉक 11.05.2022 के अनुक्रम में दिनॉक 06.03.2021 से दिनॉक 30.06.2021 तक की अवधि अर्थात 112 दिवसों में अवैध खनन हेतु रू0–2,23,36,590/–, दिनॉक 06.03.2021 से दिनॉक 30.06.2021 तक की अवधि अर्थात 112 दिवसों हेतु जल एवं वायु सहमति प्राप्त न किये जाने हेतु रू0–10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0–11,20,000/– एवं दिनॉक 06.03.2021 से दिनॉक 30.06.2021 तक की अवधि अर्थात 112 दिवसों में भूगर्भ जल दोहन हेतु हेतु रू0–1,07,386/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के साथ कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–2,35,63,976/– की संशोधित पर्यावरणीय अधिरोपित करने की संस्तुति की जाती है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 69300/सी–3/जल–434/मु0नगर/2021, दिनॉक 13.12.2021 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय रू0–11,20,000/– को निरस्त करने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0, द्वारा पारित आदेश दिनॉक 11.05.2022 के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित मैथाडोलॉजी के अनुसार खनन पट्टा मै0 शाकुम्बरी माईन्स, गाटा संख्या–228, ग्राम बिडौली, तहसील–कैराना, जिला शामली पर दिनॉक 06.03.2021 से दिनॉक 30.06.2021 तक की अवधि अर्थात 112 दिवसों में अवैध खनन हेतु रू0–2,23,36,590/–, दिनॉक 06.03.2021 से दिनॉक 30.06.2021 तक की अवधि

E(I)

.......2/–

अर्थात 112 दिवसों हेतु जल एवं वायु सहमति प्राप्त न किये जाने हेतु रू0–10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0–11,20,000/– एवं दिनॉक 06.03.2021 से दिनॉक 30.06.2021 तक की अवधि अर्थात 112 दिवसों में भूगर्भ जल दोहन हेतु हेतु रू0–1,07,386/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थात कुल रू0–2,35,63,976/– की संशोधित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड– UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें। पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 69300/सी–3/जल–434/मु0नगर/2021, दिनॉक 13.12.2021 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय रू0–11,20,000/– को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H-85295 / सी–3 / जल–452 / मु0नगर / 2022 दिनांक 07-12-22

पंजीकृत

सेवा मे,

मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज,
ग्राम इस्सोपुर खुरगान,
जिला शामली।

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पट्टाधारक मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज, ग्राम इस्सोपुर खुरगान, जिला शामली के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनॉक 22.07.2022 के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 249/2021 (I.A. No. 187/2021) with the caveat Application No. 12/2021, Caveat Application No. 13/2021 and Caveat Application No. 14/2021 दलजीत सिंह व अन्य बनाम् उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य with O.A. No. 251/2021 (I.A. No. 189/2021 & I.A. No. 214/2021) दलजीत सिंह व अन्य बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनॉक 11.05.2022 द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश आदेश दिनॉक 11.05.2022 के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), शामली के पत्र दिनॉक 06.06.2022 के द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार इकाई द्वारा 06.06.2022 तक कुल 190 दिवसों में 82,890 घन मीटर बालू खनन किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किया गया है तथा दिनॉक 04.01.2021 से दिनॉक 06.06.2022 तक कुल 190 दिवसों हेतु खनन कार्य किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार इकाई द्वारा यू0पी0 ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेंट से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये 7.90 कि0ली0 / दिन (State Level Environment Impact Assessment Authority द्वारा निर्गत एन0ओ0सी0 के अनुसार) भूगर्भ जल दोहन किया गया है। उक्त इकाई भूजल जल दोहन की दृष्टि से Environmental Compensation rate for illegal extraction of Ground Water रू0–60 / — प्रति घन मीटर है। इस प्रकार इकाई द्वारा कुल 190 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर की उक्त आख्या दिनॉक 22.07.2022 के अनुसार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनॉक 11.05.2022 के अनुक्रम में दिनॉक 04.01.2021 से दिनॉक 06.06.2022 तक की अवधि अर्थात 190 दिवसों में अवैध खनन हेतु रू0–1,60,62,909 / –, दिनॉक 04.01.2021 से दिनॉक 06.06.2022 तक की अवधि अर्थात 190 दिवसों हेतु जल एवं वायु सहमति प्राप्त न किये जाने हेतु रू0–10,000 / – प्रतिदिन की दर से कुल रू0–19,00,000 / – एवं दिनॉक 04.01.2021 से दिनॉक 06.06.2026 तक की अवधि अर्थात 190 दिवसों में भूगर्भ जल दोहन हेतु रू0–90,060 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के साथ कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–1,80,52,969 / – की पर्यावरणीय अधिरोपित करने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0, द्वारा पारित आदेश दिनॉक 11.05.2022 के अनुकम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित मैथाडोलॉजी के अनुसार खनन पट्टा मै0 अनुष्का एन्टरप्राईजेज, ग्राम इस्सोपुर खुरगान, जिला शामली पर दिनॉक दिनॉक 04.01.2021 से दिनॉक 06.06.2022 तक की अवधि अर्थात 190 दिवसों में अवैध खनन हेतु रू0–1,60,62,909 / –, दिनॉक 04.01.2021 से दिनॉक 06.06.2022 तक की अवधि अर्थात 190 दिवसों हेतु जल एवं वायु सहमति प्राप्त न किये जाने हेतु रू0–10,000 / – प्रतिदिन की दर से कुल रू0–19,00,000 / – एवं दिनॉक 04.01.2021 से दिनॉक 06.06.2026 तक की अवधि अर्थात 190 दिवसों में भूगर्भ जल दोहन हेतु हेतु रू0–90,060 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के साथ कुल रू0–1,80,52,969 / – की पर्यावरणीय

AEE (I)

.......2 / --

अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड– UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।**

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)